

मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक: एफ 2-3/2016/ए-73/271-276
प्रति,

भोपाल, दिनांक 07/06/2016

- | | |
|--|---|
| 1 अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल | 2 अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल |
| 3 प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग,
मंत्रालय, भोपाल | 4 प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आदिम जाति कल्याण विभाग ,
मंत्रालय, भोपाल |
| 5 प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय प्रशासन विकास विभाग ,
मंत्रालय, भोपाल | 6 प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ,
मंत्रालय, भोपाल |

विषय:-माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में दिनांक 30.05.2016 को स्वरोजगार योजनाओं के संबंध में आयोजित बैठक।

विषयांतर्गत दिनांक 30.05.2016 को आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना अन्तर्गत संशोधन किये गये हैं जो निम्नानुसार हैं:-


1— मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं आर्थिक कल्याण योजनांतर्गत वर्ष 2016-17 के लक्ष्यों में आदिम जाति कल्याण विभाग के लक्ष्यों में वृद्धि की गई है, अतः विभिन्न विभागों के उक्त दोनों योजनाओं में संशोधित लक्ष्य निम्नानुसार रहेंगे :—

योजना का नाम	विभाग	वर्ष 2016-17 के लक्ष्य	वर्ष 2016-17 के संशोधित भौतिक लक्ष्य
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	28,000	25,000
	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	7,000	7,000
	कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग	7,000	7,000
	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2,000	2,000
	नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग	12,000	12,000
	अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	7,000	7,000
	आदिम जाति कल्याण विभाग	5,000	8,000
	योग	68,000	68,000
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	7,000	7,000
	कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग	3,000	3,000
	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1,000	1,000
	नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग	12,000	10,000
	अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	4,000	4,000
	आदिम जाति कल्याण विभाग	3,000	5,000
	योग	30,000	30,000

2. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 से यात्रीकार/टेक्सीकार वाहनों के प्रकरण प्रतिबंधित होंगे परन्तु अन्य व्यवसायिक वाहन जैसे-तीन पहिया ऑटों, मिनिबस, बस आदि के प्रकरण मान्य होंगे।

3. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत केवल सेवा एवं उद्योग के प्रकरण ही स्वीकृत किये जायेंगे। व्यवसाय एवं ट्रेडिंग संबंधी प्रकरण बैंकों के माध्यम से संचालित प्रधानमंत्री मुद्रा योजनान्तर्गत ही स्वीकृत किये जायेंगे। अतः उक्त योजना संचालित करने वाले सभी विभागों द्वारा मुद्रा योजना के योग्य प्रकरणों को बैंकों को अनुशांसित किया जायेगा एवं ऐसे प्रकरणों में यदि बैंकों द्वारा स्वीकृति प्रदान कर वितरित किया जाता है तो विभाग ऐसे वितरित प्रकरणों को अपने लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धि में सम्मिलित कर सकेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अपने अधिनस्थ जिला कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।




(क्षी. ए.ल. कान्ता राव)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

क्रमांक: एफ 2-3/2016/ए-73/277-280

भोपाल, दिनांक 07/06/2016

प्रतिलिपि—

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, संस्थागत वित्त, विध्याचल भवन, भोपाल।
3. समन्वयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 9, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर कृपया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु बैंकों को आवश्यक निर्देश जारी करें।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश, मंत्रालय, भोपाल।



प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग